न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./125/2022

1. शंकर नायक पुत्र श्री मोती नायक जाति नायक निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द नायक पुत्र नाथू नायक जाति नायक निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. रामकरण बैरवा पुत्र देवा बैरवा जाति बैरवा निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. मिठ्ठू बैरवा पुत्र रामा बैरवा जाति बैरवा निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. सांवरा बैरवा पुत्र शोभा बैरवा जाति बैरवा निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. सुमन कंवर पत्नि जितेन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी रामपाल कॉलोनी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

—प्राथीगण

6. गुमानी नायक पत्नि गोपाल नायक जाति नायक निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. देउ नायक पुत्री गोपाल नायक जाति नायक निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर(विलोपित)
8. प्रधान नायक पुत्री गोपाल नायक जाति नायक निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. माया नायक पुत्री गोपाल नायक जाति नायक निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. लक्ष्मीनारायण नायक पुत्र गोपाल नायक जाति नायक निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर(विलोपित)
11. सीमा नायक पुत्री गोपाल नायक जाति नायक निवासी नान्दसी तहसील भिनाय जिला अजमेर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

—प्रफोर्माअप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :— 1. वकील प्रार्थी—श्री सुरेश दाधीच, रेखा चौहान
2. वकील अप्रार्थी—श्री परमेश्वर शर्मा
3. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा नान्दसी पटवार क्षेत्र नान्दसी भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता संख्या 539 में दर्ज खसरा नं. 103 रकबा 0.30, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.25 एवं खसरा नम्बर 118 रकबा 0.90 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.45 है0 है, जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 05 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने, अप्रार्थी सं. 06 लगा0 11 सहखातेदारान होने तथा अप्रार्थी सं0 12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगा0 05 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगा0 05 के विरुध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 06 एवं 10 के फौत होने तथा उनके वारिसान पूर्व में ही पत्रावली में पक्षकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 06 तथा 10 का नाम पत्रावली से विलोपित किया गया। अन्य अप्रार्थी संख्या 07, 08, 09 एवं 11 सहखातेदार पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता श्री परमेश्वर शर्मा द्वारा वकालतनाम तथा पत्थरगढी बाबत् उक्त पक्षकारों की सहमति प्रकट करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी वकील, पैरोकार सरकार तथा राजस्व जमाबन्दी ग्राम नान्दसी का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा नान्दसी पटवार क्षेत्र नान्दसी भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता संख्या 539 में दर्ज खसरा नं. 103 रकबा 0.30, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.25 एवं खसरा नम्बर 118 रकबा 0.90 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.45 है0**, प्रार्थी की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक **नान्दसी** को 1500/–(एक हजार पांच सौ रूपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज